I/14522/2020रत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD&GR Central Water Commission Water System Engineering Directorate

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जलांश-के.ज.आ. के मासिक सूचना पत्र के लिए इनपुट-संबंधी

ऐसा देखने मे आया है कि जलांश के लिए लेख सामाग्री विभिन्न संगठनों से स्वत : आधार पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।

- 1. प्रत्येक संगठन माह की **7 तारीख** तक जलांश के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सामग्री / फोटो भेजेंगे | सामग्री भेजने से पहिले, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में अनुपालन और विफलता डब्ल्यूएसई निदेशालय, के.ज.आ. द्वारा अध्यक्ष, के.ज.आ. को प्रस्तुत की जाएगी।
- 2. संगठनों द्वारा आयोजित समितियों की सभी बैठक के मीटिंग नोटिस / एजेंडा / मिनट ई-मेल के माध्यम से wsedte-cwc@gov.in को भेजे जाएंगे । उपरोक्त सूचना ऐसी समितियों के लिए भेजी जाएगी जिनकी अध्यक्षता के.ज.आ. के मुख्य अभियंता या उनसे उच्च स्तर के अधिकारी करते हैं |
- के.ज.आ. के अध्यक्ष और सदस्यों का मासिक कार्यक्रम उनके कार्यालयों द्वारा डब्ल्यूएसई निदेशालय ,
 के.ज.आ. को महीने के अंत में प्रदान किया जाएगा।

यह पत्र, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(शिव सुंदर सिंह)

उप निदेशक

सेवा में

- 1. के.ज.आ के सभी मुख्य अभियंता / संयुक्त सचिव / सलाहकार
- 2. सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली
- 3. निदेशक (आरएम / डब्ल्यूपी और पी / डी एंड आर) समन्वय, केंद्रीय जल आयोग
- 4. के.ज.आ के सभी निदेशक / अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि:

- 5. प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग
- 6. प्रधान निजी सचिव, सदस्य (आरएम / डब्ल्यूपी और पी / डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग



♦ जल संरक्षण सुरक्षित भविष्य ♦

2nd Floor(South), Sewa Bhawan,

I/14524/202€ रत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India Ministry of Jal Shakti Dept. of Water Resources, RD&GR Central Water Commission Water System Engineering Directorate

Office Memorandum

Subject: Input for Jalansh, the monthly newsletter of CWC-reg.

It is noted that input for Jalansh from various organizations is not received on suo-moto basis. Hence, following has been decided.

- 1. Each Organization would send the material/photograph of important events organized/participated for inclusion under Jalansh by **7th of each month**. The material to be provided should be reviewed by the organization before submission. Compliance and failure in this regard would be submitted to Chairman, CWC by WSE Directorate, CWC.
- 2. All meeting notices/agendas/Minutes of the meeting of Committees organized by the concerned organizations should be sent to through e-mail wsedte-cwc@gov.in. The above information should be sent for only such Committees headed at the level of Chief Engineers of CWC or higher officers.
- 3. Monthly programme of Chairman and Members of CWC would be provided at the end of the month to WSE Directorate, CWC by their offices.

This issues with approval of Chairman, CWC.



(Shiv Sunder Singh) Deputy Director

To:

- 1. All Chief Engineers(HQ & Field)/JS/Advisor of CWC
- 2. Secretary, CWC, New Delhi
- 3. Director (RM/WP&P/D&R)- Coordination, Central Water Commission
- 4. All Directors/SE of CWC

Copy also to:

- 5. PPS to Chairman, Central Water Commission
- 6. PPS to Member (RM/WP&P/D&R), Central Water Commission



♦ जल संरक्षण सुरक्षित भविष्य ♦